क्रमांक 16/21/84-3 जी0 एस0-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार मण्डल तथा सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी (ना0)

2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 9-9-85

विषय:- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को सुविधायें प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 16/21/84-3 जी. एस. II, दिनांक 29-11-84 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के ध्यान आया है कि मृतक कर्मचारियों के परिवारों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें समय पर प्रदान नहीं की जाती हैं । सरकार इस बात को गम्भीरता से लेती है तथा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार की सुविधायें कर्मचारी की मृत्यु के 6 मास के भीतर उसके परिवार को अवश्य प्रदान कर दी जाये । इस प्रकार के केसों में अनावश्यक रूप से देरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनि कार्यवाही की जायेगी ।

इसे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के नोटिस में ला दिया जावे व इस पत्र की पावती भेजी जावे ।

हस्ताक्षर
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।